खसरा नम्बर 30 से बनाये गये नवीन खसरा नम्बरों में [illegible]सिंह के बजाय श्योसिंह दर्ज किया गया है। जबकि [illegible] खसरा नम्बर 14, 71 व 81 से बनाये गये नवीन खसरा नम्बरों में [illegible]सिंह ही दर्ज किया गया है।

इस प्रकार हम यह पाते है कि भू प्रबन्ध के दौरान [illegible] का नाम [illegible]सिंह के बजाय श्योसिंह दर्ज कर दिया [illegible] जा सकता है। इस प्रकार की गलतियों को राजस्थान भू [illegible] अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त किया जा सकता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू [illegible] अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते [illegible] कि ग्राम [illegible] तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर [illegible], 154, 158, 159, 336, 339, 341, 342 कुल किता 8 रकबा [illegible] हैक्टयर 88, 89, 90, 91, 97, 100, 101, 106, [illegible] कुल किता 10 रकबा 3.50 हैक्टयर 98, 99 कुल किता [illegible] रकबा 0.50 हैक्टयर व खसरा नम्बर 331/726 रकबा [illegible] हैक्टयर में खातेदार श्योसिंह पुत्र बजरंगसिंह के स्थान पर [illegible]सिंह पुत्र बजरंगसिंह दर्ज किया जावे। शेष [illegible] यथावत रहेगी। तहसीलदार महवा को आदेश जारी [illegible] फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible]।

लिखाया आज दिनांक 21-01-2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)